

**श्री तरुण कुमार, (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार), माननीय सदस्य, विधान परिषद
द्वारा बिहार विधान परिषद में पूछा जाने वाला प्रश्न**

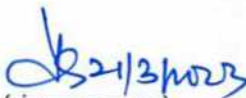
क्र० सं०	प्रश्नकर्ता श्री तरुण कुमार, (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार), माननीय सदस्य, विधान परिषद	उत्तरदाता माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना
1	2	3
(क)	क्या यह सही है कि विगत दिनों कोविड प्रसार रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी श्रमिक वापस बिहार आए थे, उनकी कुशलता के अनुसार सूची निर्माण किया गया था या प्रवासी श्रमिकों की skill mapping की गई थी;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
(ख)	क्या यह सही है कि उस समय की घोषणा के अनुसार उनके हुनर/कुशलता के अनुसार उनके क्षमता संवर्धन, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन कर उनके उनका नियोजन एवं अन्यान्य जिससे उन्हें पलायन करना नहीं पड़े, के लिए सभी जिलाधिकारियों को कार्य करने का निर्देश सरकार के द्वारा निर्गत किया गया था;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
(ग)	उपरोक्त खण्ड 'ख' का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो वापस आए सूची बद्ध श्रमिकों के लिए सरकार ने अबतक क्या किया है, कितने सूचीबद्ध श्रमिकों के कौशल संवर्धन, क्षमता संवर्धन, स्व नियोजन, उद्यम विकास के कार्य किए गए हैं? वो कौन हैं, अगर नहीं किए गए हैं तो सरकार इसके लिए क्या सोच रही है, कृपया, इससे संबंधित नीति निर्माण, आदेश और उपलब्धि स्पष्ट करने की कृपा करे;	विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर वस्तुस्थिति यह है कि :- 1. मनरेगा में कार्य करने को इच्छुक सभी परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस अवधि में Quarantine Camps में भी जॉब कार्ड निबंधन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी। Quarantine Camps में कुल 2,23,105 परिवारों को जॉब कार्ड निर्गत किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में कुल 19,20,571 परिवारों को जॉब कार्ड निर्गत किया गया है तथा कुल 46,52,076 परिवारों को मनरेगा अन्तर्गत कार्य उपलब्ध कराया गया है। 2. आपदा प्रबंधन विभाग के DMD पोर्टल और श्रम साधन पोर्टल के माध्यम से राज्य के बाहर से लौटे श्रमिकों में से 69,010 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। 3. जिला परामर्शदाता केन्द्र DCC के माध्यम से नियोक्ता एवं श्रमिकों के माध्यम से नियोक्ता एवं श्रमिकों के मध्य संपर्क स्थापित कर कुल 27,821 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

	4. उद्योग विभाग द्वारा PSU आधारित क्लस्टर विकास योजना अन्तर्गत कुल 18 क्लस्टरों में उत्पादन कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसमें कुल 378 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 5. जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना के अन्तर्गत कुल 135 क्लस्टरों में कुल 2355 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 6. वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के अवधि में निदेशालय नियोजन द्वारा रोजगार हेतु राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जिला स्तर पर वर्तमान में कुल 34 (चौतीस) ऑनलाईन/ऑफलाईन रोजगार कैम्प/शिविर का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से कुल 998 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्य के बाहर से आए कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने हेतु जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन (Innovation) योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। योजना के प्रावधानों के अनुसार जिला पदाधिकारी द्वारा कामगारों के समूह का चयन कर उनकी दक्षता के अनुरूप परियोजना हेतु आवश्यकतानुसार राशि का निर्धारण किया जाएगा एवं प्राथमिक पूँजी के रूप में अधिकतम ₹10.00 लाख की राशि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है।
(घ)	साथ ही, यह भी जानकारी दें कि सूचीबद्ध वापस आए श्रमिकों को क्या अन्य किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ दिया गया है और वो क्या हैं? उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

**बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग**

ज्ञापांक:-1/IML- 04 /2023, श्र०सं०- 1559 पटना, दिनांक 21.03.23

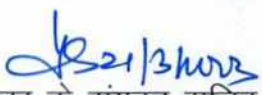
प्रतिलिपि-अवर सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय को 03 (तीन) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पंकज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

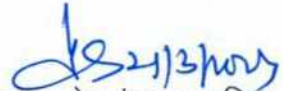
ज्ञापांक:-1/IML- 04 /2023, श्र०सं०- 1559 पटना, दिनांक 21.03.23

प्रतिलिपि-उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को 03 (तीन) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-1/IML- 04 /2023, श्र०सं०- 1559 पटना, दिनांक 21.03.23

प्रतिलिपि-संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार/अवर सचिव, श्रम पक्ष,
प्रशाखा पदाधिकारी-07 (श्रम पक्ष) एवं आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव